कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

पत्रांकःस–8/डी0डी0/फा0स0/मेरठ–16(मेरठ)/863 दिनांकः दिसम्बर 13 2016,

सेवा मे,

प्रबन्धक/स्वामी
मैसर्स रॉकलैण्ड इन्टरनेशनल स्कूल,
खसरा नं0–162, ग्राम बहलोलपुर किला परीक्षितगढ, तहसील मवाना,
जनपद मेरठ।

विषयः **मैसर्स रॉकलैण्ड इन्टरनेशनल स्कूल द्वारा खसरा नं0–162,ग्राम बहलोलपुर किला परीक्षितगढ, तहसील मवाना जिला मेरठ मे संचालित शैक्षणिक भवन की कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः यूआईडी:2016/26120/एमआरटी/मेरठ/518/डी0डी0।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से वॉच्छनीय अभिलेखों को प्रस्तुत कर प्रश्नगत भवन की कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ से किया गया है।

अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाईन मेरठ से कराया गया तो उनकी आख्या दिनांकः 06–12–2016 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 07–12–2016 इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसके अनुसार भवन का विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–कुल प्लाट एरिया–6788.00 वर्ग मी0 है। जिसमे निर्मित भवन का फ्लोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत हैः–

कमांक	तलों का विवरण	निर्मित कवर्ड एरिया वर्ग मी0।
1	भूतल एवं प्रथम तल	1694.65 प्रत्येक।
2	भवन की ऊचॉईः–07.45 मीटर।	

भवन का अधिभोग एवं हैजार्डस श्रेणीः– प्रश्नगत भवन का अधिभोग नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 के अनुसार एजुकेशनल भवन श्रेणी के अन्तर्गत वगीकृत किया गया है ।

ढॉचागत व्यवस्थाः–

1–पहुँच मार्गः–भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 24.00 मीटर चौडा रोड उपलब्ध है तथा प्रवेश द्वार जिसकी चौड़ाई 07.66 मी0 मानको के अनुसार उपलब्ध है।

2–सेटबैकः– प्रश्नगत भवन के सेटबैक भवन निर्माण विकास उपविधि के अनुसार .

ए0–अग्रभाग–09.00 मीटर,
बी0–पृष्ठ भाग–06.00 मीटर,
सी0–पार्श्व–प्रथम–06.00 मीटर,
डी0–पार्श्व–द्वितीय–06.00 मीटर

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक को सदैव अवरोध मुक्त रखा जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य अनुमान्य नही होगा।

3–निकास मार्गः– प्रश्नगत भवन मे 03 अदद स्टेसरकेस जिनकी क्रमशः चौडाई 01.85 मी0 प्रत्येक निर्मित है। तथा भवन के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स मानकों के अनुरूप अधिकतम अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत है

अग्निसुरक्षा व्यवस्थाः– नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट–4 एवं ततसम्बन्धी बी0आई0एस0–3844 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं स्थापित है।

(अमन शर्मा)
उप निदेशक फायर
मेरठ

1–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त भवन मे फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार अनुसार स्थापित है।

2–फायर बकेटः– प्रश्नगत भवन मे फायर बकेट मय स्टैण्ड मानको के अनुसार स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाईन एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ की संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स रॉकलैण्ड इन्टरनेशनल स्कूल द्वारा खसरा नं0–162,ग्राम बहलोलपुर किला परीक्षितगढ, तहसील मवाना जिला मेरठ मे निर्मित शैक्षणिक भवन मे उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर प्रश्नगत भवन की कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:–

1–भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2–भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्राुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।

4–भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5–प्रत्येक छः माह मे एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

6–वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7–विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध मे विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

9–उपरोक्त शर्तो का उल्लधंन पाये जाने की दशा मे निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अमन शर्मा)
(अमन शर्मा)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
उप निदेशक फा0 स0
मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।
मेरठ

प्रतिलिपिः 1–संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मेरठ उ0प्र0 को सादर सूचनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3–अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाईन मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।